"प्रदर्श–स"

–:प्रमाण पत्र:–

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड लौह अयस्क खनिज पट्टा के लिए पहुंच मार्ग एवं इलेक्ट्रिक लाईन के लिए भूमि के डायवर्सन हेतु कांकेर जिला पूर्व में भानुप्रतापपुर (वन मण्डल के हाहालद्दी गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु परिक्षेत्र दुर्गूकोंदल आरक्षित वन कक्ष 641, 642 (पुराना 364 व 365) में कुल रकबा 2.58 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्सन हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के जांच प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा में अनुमोदन पश्चात् अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत होने पर वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की **वन भूमि 2.58** हे..एवं/राजस्व वन भूमि **निरंक** है जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है , तथा **ग्राम हाहालद्दी तहसील दुर्गूकोंदल जिला कांकेर में स्थित है**, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **28/01/2019** **(प्रदर्श–अ)** एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"ब")** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **ग्राम पंचायत दुर्गूकोंदल** ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति **संजू नरेटी** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **28/01/2019** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. **50 प्रतिशत** ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
1.	निरंक	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **28/01/2019** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक **05/02/2019** एवं ग्राम सभा के **दिनाांक 28/01/2019** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

स्थान:–कांकेर

दिनांक 06/02/2019

Shri Bajrang Power & Ispat Ltd.

Director Authorised Signatory

(श्रीमती सनू साहू)

कलेक्टर

अध्यक्ष जिला स्तर अधिकार समिति

जिला उत्तर बस्तर कांकेर